भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1538
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत निधि को जारी करने में देरी

†1538. श्री राधाकृष्णः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसीडीआरएफ) के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान कर्नाटक को आपदा राहत निधि संबंधित केंद्रीय हिस्से को जारी करने में कोई देरी हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आपदा प्रबंधन निधि समय पर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के

आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए है। राज्यों को एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट **https://ndmindia.mha.gov.in** पर उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान कर्नाटक सहित सभी राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) से (घ): राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के आकलन और जारी करने में तेज़ी लाने के लिए, भारत सरकार ने 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि किसी भी गंभीर प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद, राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, आईएमसीटी की तैनाती की जाएगी। टीम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1538, दिनांक 09.12.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और जारी धनराशि का राज्यवार विवरण:

(करोड़ रुपये में)

क्र.म.	राज्य	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन					एसडीआरएफ में केंद्र का जारी हिस्सा					एनडीआरएफ से जारी राशि (सभी आपदाओं के लिए)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	1192.80	1192.80	1252.80	1315.20	1380.80	895.20	895.20	940.00	987.20	1036.00	657.01	351.43	--	--	56.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.40	222.40	233.60	245.60	256.80	200.00	200.00	210.40	220.80	115.60	59.34	--	--	--	--
3.	असम	686.40	686.40	720.80	756.80	795.20	617.60	617.60	648.80	680.80	716.00	44.37	--	250.00	--	29.02
4.	बिहार	1510.40	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1132.80	1132.80	1189.60	1248.80	1311.20	1255.27	1038.96	--	--	--
5.	छत्तीसगढ	460.80	460.80	484.00	508.00	533.60	345.60	345.60	181.60	181.60#	380.80#	--	--	--	--	33.24
6.	गोवा	12.00	12.00	12.80	12.80	13.60	9.60	9.60	9.60	9.60	10.40	--	--	--	--	31.50
7.	गुजरात	1412.00	1412.00	1482.40	1556.80	1635.20	1059.20	1059.20	556.00	1140.00#	600.00#	--	1000.00	--	--	--
8.	हरियाणा	524.00	524.00	550.40	577.60	606.40	392.80	392.80	412.80	433.60	455.20	--	--	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	363.20	363.20	380.80	400.80	420.00	327.20	327.20	342.40	360.80	378.40	2.90	--	214.26	787.25	84.56

10.	झारखंड	605.60	605.60	635.20	667.20	701.60	454.40	454.40	--	476.80#	1027.20#	--	200.00	--	--	--
11.	कर्नाटक	843.20	843.20	885.60	929.60	976.00	632.80	632.80	664.00	697.60	732.00	689.27	1623.30	939.83	--	3528.45
12.	केरल	335.20	335.20	352.00	369.60	388.00	251.20	251.20	264.00	277.60	291.20	--	--	--	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1941.60	1941.60	2038.40	2140.80	2248.00	1456.00	1456.00	1528.80	1605.60	1686.40	1891.79	600.50	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	3436.80	3436.80	3608.80	3788.80	3978.40	2577.60	2577.60	2706.40	2841.60	2984.00	420.12	1056.39	--	--	--
15.	मणिपुर	37.60	37.60	39.20	41.60	44.00	33.60	33.60	35.20	18.80	50.00	26.53	--	--	--	12.15
16.	मेघालय	58.40	58.40	60.80	64.80	67.20	52.80	52.80	27.20	27.20#	59.60	16.52	--	--	--	11.98
17.	मिजोरम	41.60	41.60	43.20	46.40	48.00	37.60	37.60	39.20	41.60	43.20	--	--	--	--	18.36
18.	नागालैंड	36.80	36.80	38.40	40.80	42.40	32.80	32.80	34.40	36.80	38.40	1.34	--	107.31	--	181.81
19.	ओडिशा	1711.20	1711.20	1796.80	1886.40	1980.80	1283.20	1283.20	1348.00	1415.20	1485.60	500.00	500.00	--	--	45.09
20.	पंजाब	528.00	528.00	554.40	582.40	611.20	474.43	396.00	416.00	436.80	458.40	--	--	--	--	29.60
21.	राजस्थान	1580.00	1580.00	1659.20	1742.40	1828.80	1184.80	1184.80	1244.80	1307.20	1372.00	68.65	--	13.46	--	--
22.	सिक्किम	44.80	44.80	47.20	49.60	52.00	40.00	40.00	42.40	44.80	47.20	73.86	55.23	--	81.89	229.82
23.	तमिलनाडु	1088.00	1088.00	1142.40	1200.00	1260.00	816.00	816.00	856.80	900.00	944.80	286.91	566.36	--	--	360.09
24.	तेलंगाना	479.20	479.20	503.20	528.00	555.20	359.20	359.20	188.80	584.80#	416.80	--	--	--	--	42.78
25.	त्रिपुरा	60.80	60.80	63.20	67.20	70.40	54.40	54.40	56.80	60.80	71.60	12.93	--	--	--	186.40
26.	उत्तर प्रदेश	2062.40	2062.40	2165.60	2273.60	2388.00	1546.40	1546.40	812.00	1664.80#	1748.40#	--	--	--	--	172.95
27.	उत्तराखंड	832.80	832.80	874.40	918.40	964.00	749.60	749.60	787.20	826.40	434.00	--	--	--	--	21.30
28.	पश्चिम बंगाल	1078.40	1078.40	1132.80	1189.60	1248.00	808.80	808.80	849.60	892.00	936.00	2250.28	350.13	--	--	84.77
कुल		**23186.40**	**23186.40**	**24344.80**	**25565.60**	**26841.60**	**17825.63**	**17747.20**	**16392.80**	**19419.60**	**19830.40**	**8257.09**	**7342.30**	**1524.86**	**869.14**	**5160.77**

#पिछले वर्ष के एसडीआरएफ के बकाया सहित।

******